न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी 827-I-15

1. जीतेन्द्र तनय स्व. पूरनलाल नामदेव
2. धर्मेन्द्र तनय स्व. पूरनलाल नामदेव
3. दीपेन्द्र तनय स्व. पूरनलाल नामदेव
4. बृजेन्द्र तनय स्व. पूरनलाल नामदेव

निवासी बडा बाजार पन्ना जिला पन्ना ......निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. श्रीमति सरस्वती पत्नि स्व. पूरनलाल नामदेव
2. कु राखी पुत्रीस्व. पूरनलाल नामदेव
3. कु.शालिनी पुत्री स्व. पूरनलाल नामदेव
4. कु श्रृष्टि पुत्री स्व. पूरनलाल नामदेव

   निवासी बडा बाजार पन्ना जिला पन्ना
5. श्रीमति दीपिका स्व. पूरनलाल नामदेव

   निवासी मनोरमा कालोनी सागर
6. जालीलाल तनय स्व. मनीराम दर्जी
7. कु भारती तनय स्व. सरमनलाल नामदेव
8. कु ज्योति पुत्री स्व. सरमनलाल नामदेव
9. राहुल नामदेव पुत्री स्व. सरमनलाल नामदेव
10. गनेशप्रसाद तनय स्व. मनीराम दर्जी

    तीनों निवासी टिकुरिया मोहल्ला पन्ना
11. म.प्र. गृह निर्माण मंडल पन्ना
12. म.प्र.शासन

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 26/02/08 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्र 46/1 रकवा 0.120 है भूमि स्व. मनीराम दर्जी के भूमिस्वामी हक व कब्जे की भूमि है जिस पर उनकी मृत्यु उपरांत उनकी पत्नि लल्लाबाई तथा लल्लाबाई की मृत्यु उपरांत निगरानीकर्तागण एंव अनावेदक क्र 1 से 10 तक का नाम दर्ज किया गया परंतु तहसीलदार पन्ना के गलत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर विधि विपरीत आदेश पारित किया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 627–एक/2015 · जिला–पन्ना

जीतेन्द्र आदि विरूद्ध श्रीमति सरस्वती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 115/स्वमेव निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 26–2–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/3/19	